

I 1265/12

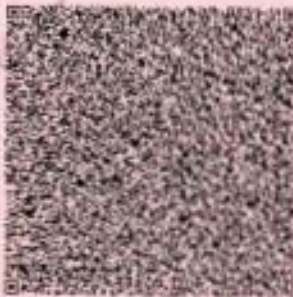


सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No. : IN-UP02782366308862P
Certificate Issued Date : 09-Jan-2017 02:32 PM
Account Reference : SHCIL (FI)/ upshcil01/ LUCKNOW/ UP-LKN
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPSHCIL0103339025921129P
Purchased by : TANYA INFRABUILD AND INFOTECH PVT LTD
Description of Document : Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description : 16/COM-11, NEAR TRAUMA CENTER, SECTOR-16, VRINDAVAN YOJANA, LUCKNOW
Consideration Price (Rs.) : 3,33,55,960
(Three Crore Thirty Three Lakh Fifty Five Thousand Nine Hundred And Sixty only)
First Party : UTTAR PRADESH AWAS EVAM VIKAS PARISHAD
Second Party : TANYA INFRABUILD AND INFOTECH PVT LTD
Stamp Duty Paid By : TANYA INFRABUILD AND INFOTECH PVT LTD
Stamp Duty Amount(Rs.) : 23,35,000
(Twenty Three Lakh Thirty Five Thousand only)



Please write or type below this line



उत्तर प्रदेश सरकार
आवास एवं विकास



वृन्दावन योजना, लखनऊ

वृन्दावन योजना, लखनऊ

0005312997

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilstamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

सिलसिले का नम्बर	बाही	खण्ड	पृष्ठ	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	प्रस्तुतकर्ता निष्पादनकर्ता नाम व पता	पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटोग्राफ
1	2	3	4	5	6	7
14					क्रेता / प्रस्तुतकर्ता श्रीमान श्री कृष्ण चन्द्र एल एन को टेक प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट का ज्ञात दान कुरी (आलु) इन्फो	
					सम्पत्ति विकास हस्ताक्षरित आवास लक्ष्मण उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद वृन्दावन योजना, रायवरेली रोड, लखनऊ	 सम्पत्ति प्रबंधक वृन्दावन योजना, लखनऊ
					Shri. N.C.B. Singh Nagar, Alambagh, Lucknow - U.P.	
					श्री श्रीमान श्री सहायक निरीक्षक सहायक निरीक्षक लखनऊ	



आई एस ओ प्रमाणित संस्था

कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्ध

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्

आफिस कामपलेक्स, सेक्टर-९, प्रथम तल, वृन्दावन योजना, लखनऊ

संख्या.....

/सं०प्र० वृन्दावन योजना

दिनांक.....

प्रति,

ता. भा. इ. फा. बि. ल. एड्ड इन्फो टेक प्रानलि
निकासी- वाशु शाह दाम कुरी (लाब ३)
अग्रेसरी

विषय : भवन/भूखण्ड संख्या 16/COM-11 के विक्रय विलेख के पंजीयन के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि आपके पक्ष में आवंटित भवन/भूखण्ड संख्या 16/COM-11 का विक्रय विलेख/किराया क्रय विलेख सं० 23, 35, 000 के स्टाम्प पर निष्पादित कर दिया गया है जो कि 25 दिनों के अन्दर एक छायाप्रति के साथ अन्य सम्बन्धित प्रपत्र संलग्न कर इस आराय से दिया/भेजा जा रहा है कि कृपया 25 दिनों के अन्दर सहायक रजिस्ट्रार लखनऊ के कार्यालय में उपस्थिति होकर विलेख पंजीकृत कराकर विलेख की एक प्रमाणित प्रति तीन दिनों के अन्दर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें ताकि भवन/भूखण्ड का कब्जा पत्र भौतिक कब्जे हेतु निर्गत किया जा सके अन्यथा कब्जा पत्र निष्पादित करने में बाधा उत्पन्न होगी।

सहायक : उपसेक्तानुसार

सम्पत्ति प्रबंधक
एन.ए.ओ.आवास/आयुक्त

सं० 496 /उक्त/

तद दिनांक 01/2/17

नियम : सब रजिस्ट्रार लखनऊ को उक्त सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सम्पत्ति प्रबंधक
एन.ए.ओ.आवास/आयुक्त



भारत सरकार
 Union Ministry of India

आधार संख्या / Enrollment No. 50002129
 To
 गुण रीपेर
 गुण मंत्रालय
 SO, Dargah
 64/141
 मन्दायम पोस्ट, 612 401
 तमिल नाडु, भारत
 UTHARAKOTA
 Ludhiana
 141001
 9430261402
 141001 / 170 / 200520 / 200520 / 170
 141001 / 170 / 200520 / 200520 / 170
 141001 / 170 / 200520 / 200520 / 170

आधार संख्या / Your Aadhaar No.
 4789 3222 3394

आधार - आम आदमी का अधिकार



गुण रीपेर
 गुण मंत्रालय
 मन्दायम पोस्ट, 612 401
 तमिल नाडु, भारत
 9430261402



आधार - आम आदमी का अधिकार
 4789 3222 3394

Shree
 Gyanendra
 770503553



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



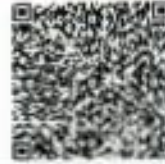
Urnesh Pratap Singh

उमेश प्रताप सिंह

जन्म तिथि/DOB:

07-07-1977

पुरुष / MALE



7816 2869 8487

आधार - आम आदमी का अधिकार

Handwritten signature and number 9792 430851



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता

S/O नरेश बहादुर सिंह, ए38/24, गुनग
बाबाय, सेक्टर 1, गोमती नगर विस्तार,
गोमती नगर, लखनऊ, लखनऊ,
UP - 226010

Address:

S/O Samar Bahadur Singh, A38/24,
sultab abas, sector 1, gomati nagar
vihar, Gomtinagar, Lucknow,
Lucknow,
Uttar Pradesh-226010



1947
1800 320 1947

help@uidai.gov.in

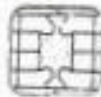
www.uidai.gov.in

P.O. Box No. 1947,
Bengaluru-560 021

UNION OF INDIA Driving Licence

(UP) (NT)

UP32 20059020767



with new old date

Date of issue

22/10/2005

App. validity

21/10/2025

Age

05/04/1987

Sex

Unknown

Holder's Name

GAURAV DEEP SINGH

Holder's Address / Son/Daughter/Wife of

GURBACHAN SINGH



Gaurav Deep Singh
9935541056

UP32 20059020767

UP32 20059020767



LMV

02/2005



MCWG

22/10/2005



UP

Holder's Address

V.C.B, CINGARI NAGAR

LAMBIAH

LUCKNOW - 226005

[Signature]

Holder's Signature

[Signature]

Issuing Authority Sign

Lucknow

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
व्यवसायिक भूखण्ड के लिए किराया-किस्त कय किरायेदारी का अनुबन्ध

यह अनुबन्ध आज दिनांक...०१...माह...फरवरी...दो हजार...१७...की उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अधीन संगठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है और जिसका कार्य उसके आवास आयुक्त के जिसे एतदपश्चात् 'स्वामी' कहा गया है, जिस पद के अन्तर्गत जब तक कि कोई बात प्रसंग से असंगत न हो, उसका उत्तराधिकारी या समनुदेशिनी भी है या जिसका तात्पर्य उसके उत्तराधिकारी या समनुदेशिनी भी है।

माध्यम से होता है। एक पक्ष और तान्या इन्फास्ट्रिड एण्ड इन्फोटेक प्रा० लि० निवासी-538क/456/142 शिवपुरम, त्रिवेणीनगर, लखनऊ की ओर से श्री उमेश प्रताप सिंह जिसे एतदपश्चात् किराया-किस्त कंता कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत जब तक कि प्रसंग या अर्थ से कोई बात असंगत न हो, इसमें एतदपश्चात् यथा उपबन्धित अनुमोदित नाम निर्देशिनी और उसके न होने पर उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, विधिक प्रतिनिधि और अनुज्ञाप्राप्त समनुदेशिनी भी है, दूसरे पक्ष के बीच किया गया।

चूंकि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की एक व्यवसायिक भूखण्ड आवंटन योजना के अधीन किराया-किस्त कय योजना के अधीन किराया किस्त कंता ने स्वामी से किराया किस्त कय योजना के अधीन एक व्यवसायिक भूखण्ड का आवंटन करने के लिये पृथक रूप से आवेदन किया है और स्वामी ने एतदपश्चात् निर्धारित निबन्धन और शर्तों पर किराया-किस्त कंता को भूखण्ड का आवंटन करने के लिए आवंटित करने की सहमति दे दी है।

और चूंकि किराया-किस्त कंता ने ₹ 1,00,06,788.00 (शब्दों में केवल ₹ एक करोड़ छः हजार सात सौ अट्ठासी मात्र) का भुगतान प्रथम किस्त के रूप में कर दिया है जिसमें पंजीकरण की जमा बयाना धनराशि एवं उस पर अर्जित ब्याज सम्मिलित है।

उक्त व्यवसायिक भूखण्ड सं० 16/COM-11 का कुल मूल्य ₹ 3,33,55,960.00 (₹ तीन करोड़ तैतीस लाख पचपन हजार नौ सौ साठ मात्र) जिसका आधा ₹ 1,66,77,980.00 (₹ एक करोड़ छः छः हजार सत्तर हजार नौ सौ अस्सी मात्र) होता है। आवंटनी द्वारा यदि किस्तों का नियमित भुगतान नहीं किया जाता है तो उसमें नियमानुसार ब्याज/दण्ड ब्याज भी देय होगा। इस धनराशि में से किराया किस्त कंता ने प्रदेशन पत्र के अनुसार 1% धनराशि काट कर आयकर विभाग में परिषद के पैर खाता सं० AAAJU0103A में जमा कराकर फार्म 26 Q.B प्रस्तुत किया है।

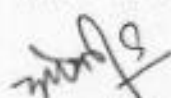
अब यह विलेख इस बात का साक्षी है कि स्वामी एतद्वारा किराया-किस्त कंता से प्रसविदा करता है और सहमत है और किराया-किस्त भी एतद्वारा स्वामी से निम्नलिखित शर्तों से प्रसविदा करता है और सहमत है अर्थात्।

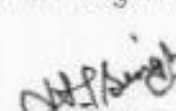
1. किराया-किस्त कंता को व्यवसायिक भूखण्ड के रूप में सम्पत्ति का, जिसकी संख्या 16/COM-11 है और जो वृन्दावन योजना संख्या-4 सेक्टर संख्या- 16 में स्थित है। और जिसे अधिक स्पष्ट करने के लिये इसमें आगे दी गयी अनुसूची-एक में सीमाओं के साथ अधिक विशिष्ट रूप से वर्णित किया गया है, कब्जा दिया जायेगा।

2. किराया-किस्त कंता उक्त सम्पत्ति किरायेदार के रूप में निम्नलिखित शर्तों के अधीन 72 (मासिक) की एक नियत अवधि तक ग्रहीत करेगा जो वर्ष दो हजार सत्तर के जनवरी-17 मास के प्रथम दिनांक से प्रारम्भ होगी और वर्ष 2022 के दिसम्बर मास के अन्तिम दिनांक को समाप्त होगी:-

(क) किराया-किस्त-कंता ₹ 4,93,835.00 केवल (₹ चार लाख तिरान्ने हजार आठ सौ पैतीस मात्र) की मासिक किस्त की किसी गांग की प्रतीक्षा किए बिना उसी माह में जिसमें मासिक किस्त देय हो जाय, प्रत्येक माह के प्रथम दिनांक तक स्वामी के कार्यालय में या निर्दिष्ट स्थान पर भुगतान करेगा जिसका ऐसा प्रथम भुगतान इसमें ऊपर उल्लिखित किराया-किस्त कंता द्वारा पहले ही कर दिया गया और जिसे माह जनवरी-17 की प्रथम किस्त के रूप में समझा जाय और ऐसा आगामी भुगतान वर्ष 2017 के माह के फरवरी-17 के अन्तिम दिनांक को या उसके पूर्व प्रत्येक कैलेंडर मास के तुरन्त बाद किराया-किस्त कय की अवधि तक देय हो जाय या भुगतान योग्य हो जाय।

कमरा: 2 पर


आवंटी


सम्पत्ति प्रबंधक
वृन्दावन योजना, लखनऊ

ख. किराया-किश्त को आवंटन की योजना में यथा निर्धारित नगरपालिका के या अन्य प्रकार के सभी करों, फीस, प्रभार निर्धारित कर ऐसे अन्य उदग्रहणकी धनराशि का, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, जो स्थानीय निकाय द्वारा या राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी अन्य प्राधिकृत अभिकरणद्वारा उसके सम्बन्ध में भू-स्वामी या किरायेदार को एतद्वारा किराये परदी गयी उक्त सम्पत्ति पर लगाई गयी हो, प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध प्राधिकारियों को भुगतान करेगा। किराया-क्रेता-स्वामी को सम्पत्ति कर, जल प्रभार, सीवर व्यवस्था के प्रभार का, जैसा कि स्वामी द्वारा समय-समय पर उदग्रहीत किया जाय, भुगतान करेगा। परन्तु किराया-किश्त क्रेता की ओर से ऐसा भुगतान न किये जाने की दशा में स्वामी का ऐसी देय धनराशि को भू-राजस्व के बकाये के रूप में या ऐसी अन्य रीति से जो विधि संगत हो, वसूल करने और उसे किश्त के बकाये के रूप में मानने की शक्ति होगी।

ग. किराया-किश्त क्रेता उक्त सम्पत्ति के साथ-साथ सम्भरण, जल निस्सारण, विजली और किन्हीं ऐसी अन्य सेवाओं से सम्बन्धित उसके प्रतिष्ठानों की मरम्मत (जिस पद के अन्तर्गत सामान्य और आवश्यक वार्षिक भीतरी और बाहरी रंगाई और पुताई, सफाई भी)। स्वामी के या ऐसे व्यक्ति के जिसे स्वामी इस प्रयोजनार्थ नियुक्त करे, समाधानप्रद रूप से स्वयं अपने खर्च पर करायेगा और उसे समुचित रूप से ठीक दशा और स्थिति में रखेगा।

घ. किराया-किश्त क्रेता ऐसा कोई कार्य या ऐसी कोई बात नहीं करेगा या करने देगा जो स्वामी या उसी कालोनी के अन्य व्यवसायिक मूखण्डों के अध्यासियों की या पड़ोसियों की राय में लोक कण्टक हो और जो उस प्रयोजन के अनुरूप न हो जिसके लिये योजना बनाई गई।

ड. किराया-किश्त क्रेता एतद्वारा स्वीकृत अवधि के दौरान सभी युक्तियुक्त समय पर स्वामी या स्वामी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किन्हीं व्यक्तियों को उक्त सम्पत्ति में और उस पर प्रवेश करने की मरम्मत की स्थिति का निरीक्षण करने की अनुमति देगा और यदि ऐसा निरीक्षण करने पर स्वामी को यह प्रतीत हो कि कोई साम्प्रतिक या विशेष मरम्मत आवश्यक है तो स्वामी किराया-किश्त क्रेता के खर्च पर कर वा सकता है और किराया-किश्त क्रेता एतद्वारा स्वामी को ऐसी धनराशि का भुगतान करके जिसे स्वामी (जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा) इस निमित्त नियत करे, ऐसे खर्च की प्रतिपूर्ति करने की सहमति देता है।

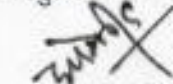
च. किराया किश्त क्रेता स्वामी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को उक्त सम्पत्ति में उस पर ऐसे कर्मचारों के साथ प्रवेश करने की अनुमति देगा जो पाइप - लाइन, सीवर लाइन या कोई विद्युत आपूर्ति लाइन या उससे सम्बन्धित किसी कार्य के लिये कोई सर्विस लाइन बिछाने, उसकी मरम्मत करने या उसे निश्चित स्थान पर लगने के प्रयोजन के साथ-साथ उक्त सम्पत्ति में बिछाई गयी किसी सर्विस लाइन से किन्हीं अन्य सम्पत्ति को जोड़ने के प्रयोजन के लिये आवश्यक हो।

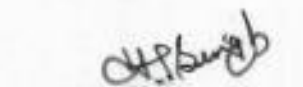
छ. किराया-किश्त क्रेता स्वामी की लिखित पूर्वानुमति के बिना और सम्बद्ध प्राधिकारी को लिखित स्वीकृति या अनुमति के बिना भी उक्त सम्पत्ति में कोई परिवर्तन या परिवर्द्धन नहीं करेगा या करने की अनुमति नहीं देगा। परन्तु स्वामी अपने विवेकानुसार किसी परिवर्तन या परिवर्द्धन, चाहे जो भी हो, के लिये ऐसी अनुमति देने से इन्कार कर सकता है और उस निमित्त उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

ज. किराया-किश्त क्रेता, स्वामी की लिखित पूर्व सहमति के बिना जिसे वह अपने स्पष्ट विवेकानुसार अस्वीकृत करने का हकदार होगा, उक्त सम्पत्ति के सम्पूर्ण या किसी भाग का विक्रय, अन्तरण, समनुदेशन नहीं करेगा या कब्जे से अन्यथा अलग नहीं होगा। परन्तु सहमति दिये जाने की दशा में सम्पत्ति का ऐसा प्रत्येक अन्तरण समनुदेशन केवल इस किरायेदारी की शेष अवधि के लिए होगा और यथास्थिति अन्तरिती या समनुदेशिती इसमें दिये गये निबन्धनों और शर्तों से आबद्ध होगा और उसकी सभी बातों के लिये स्वामी के प्रति उत्तरदायी होगा।

परन्तु यह भी कि ऐसा कोई भी समनुदेशन या अन्तरण वैध या अनुमन्य नहीं होगा जहां समनुदेशिती या अन्तरिती कोई ऐसा व्यक्ति है जो योजना में यथा उपबन्धित पात्रता की अपेक्षाओं को पूरा न करता हो।

झ. किराया-किश्त क्रेता इस किरायेदारी की अवधि के दौरान इसमें नीचे दी गयी अनुसूची-दो में दिये गये किरायेदारी सम्बन्धी अनुबन्धनों का पालन करेगा।


आवंटी


सम्पत्ति प्रबंधक
उन्नाव योजना, लखनऊ

कमरा: 3 पर

3. किराया-किश्त कंता किसी भी स्तर पर किन्हीं भी कारणों से चाहे जो भी हो, जैसा कि योजना में सम्पत्ति के विभव के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से उपबन्धित है, सम्पत्ति के बारे में ऐसी शिकायत करने से विरत रहेगा जिससे आपत्तियाँ उठें या दावे प्रस्तुत किये जायें।

4. किराया किश्त कंता इस योजना के अधीन उस पर आने वाले ऐसे सभी उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगा जो इस विलेख का अंग समझे जायेंगे और जिसके बारे में इस अनुबन्ध-पत्र के पक्षकारों के बीच एतद्वारा सहमति है।

5. उक्त सम्पत्ति में किराया-किश्त कंता के हित के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकता है, फिर भी किराया-किश्त कंता एतद्वारा स्वामी को किसी ऐसी सम्भाव्यता के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है।

6. किराया-किश्त कंता किसी भी प्रकार की दुर्घटना के फलस्वरूप उक्त सम्पत्ति को क्षति पहुँचने या उसके नष्ट होने की दशा में एतद्वारा स्वामी को किसी भी उत्तरदायित्व से मुक्त करना है। परन्तु इस अनुबन्ध के प्रवृत्त रहने तक किराया-किश्त कंता का यह कर्तव्य होगा कि वह इस बात का ध्यान रखे कि भूखण्ड, उपयोग के कारण उचित टूट-फूट को छोड़कर, उसी दशा में बना रहे जिसमें वह प्रारम्भ में सौंपा गया था, किसी प्राकृतिक कारण से या आग लग जाने से क्षति होने की दशा में किराया-किश्त कंता का यह कर्तव्य होगा कि वह भवन को पुनः उसकी मूल दशा में लाने के लिये आवश्यक मरम्मत कराये। भवन का आग लग जाने के जोखिम के प्रति परिषद द्वारा अनुमोदित बीमा कम्पनी से अतिवार्य रूप से बीमा कराया जायेगा आग लग जाने से क्षति होने की दशा में परिषद का दायित्व उस सम्बन्ध में परिषद को मिलने वाली बीमा की धनराशि तक ही सीमित होगा।

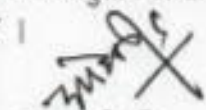
7. किराया-किश्त कंता अपने जीवन काल में लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर से ऐसे नाम निर्देशिनी को, जिसे वह उक्त सम्पत्ति में, जिससे उसकी मृत्यु हो जाने के स्थिति में भूखण्ड/भवन के भावी स्वामित्व में उसका अधिकार भी सम्मिलित है, अपना अंश या हित अन्तरित करना चाहे, नाम निर्दिष्ट करेगा और उसे आवास आयुक्त के पास जमा कर देगा स्वामी किराया-किश्त कंता की मृत्यु का प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर तदनुसार अन्तरण करेगा जो स्वामी और सार्वजनिक निकायों के प्रति किराया-किश्त कंता के समस्त विद्यमान दायित्वों और बध्यता के अधीन होगा। इस प्रकार किये गये नाम निर्देशन को दिखण्डित किया जा सकता है और किराया-किश्त कंता उपर्युक्त रीति से उसके स्थान पर दूसरा नाम निर्देशन कर सकता है परन्तु किराया-किश्त कंता द्वारा ऐसा नाम निर्देशन न किये जाने पर किराया-किश्त कंता के वारिस/वारिसों का स्वामी द्वारा इस विलेख के हिताधिकारी/हिताधिकारियों के रूप में स्वीकार किया जायेगा।

8. किराया-किश्त कंता सभी देयों का जिनका भुगतान इस विलेख के अनुसरण में उसके द्वारा किया जाना अपेक्षित है, पूरा और नियमित भुगतान करेगा किश्तों के भुगतान के लिये उनके देय होने के दिनांक से एक मास की छूट दी जायेगी।

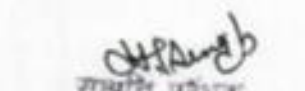
वह किश्त में सम्मिलित साधारण ब्याज के अतिरिक्त प्रदेशन पत्र में उल्लिखित 17 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दण्ड ब्याज के भुगतान का देनदार होगा। यदि भुगतान छूट की अवधि के भीतर न किया जाय तो किराया-किश्त कंता तदनुसार किश्तों के वस्तुतः देय होने के दिनांक से निर्धारित 17 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के भुगतान का देनदार होगा लगातार तीन से अधिक किश्तों का भुगतान करने में व्यक्ति कम होने की दशा में किरायेदारी समाप्त समझी जायेगी और कंता को बेदखल किया जा सकेगा। स्वामी को देय समस्त बकाया धनराशि को भू-राजस्व के रूप में या ऐसी अन्य रीति से, जिसका विधि समर्थन करे, वसूल किया जा सकेगा। किराया-किश्त का जल सम्पूर्ति कनेक्शन तथा विद्युत कनेक्शन भी विच्छेदन किया जा सकेगा तथा निर्धारित शर्तों प्रक्रिया से पुनः संयोजन किया जा सकेगा।

9. यदि किराया-किश्त कंता सम्पत्ति या साझा भावा या साझा सेवाओं का उपयोग इस ढंग से करता है कि उसे क्षति पहुँचे या उसका क्षय हो या गलत कार्य के लिये उसका उपयोग हो, तो किराया-किश्त कंता ऐसी क्षति, क्षय होने या गलत उपयोग किये जाने के लिये स्वामी या पंजीकृत अभिकरण की तत्सम्बन्धी प्रभार का भुगतान करेगा।

10. यदि किराया-किश्त कंता किराया-किश्त क्य की अवधि के समाप्त होने के पूर्व एतद्वारा स्वीकृत किरायेदारी को स्वतः समाप्त करना चाहे तो वह इसके लिये स्वामी को तीन महीने की नोटिस देगा और स्वामी सभी देयों के साथ-साथ इस अनुबन्ध के अनुसार किराया-किश्त कंता द्वारा किरायेदारी को इस प्रकार समाप्त के कारण होने वाली हानि की वसूली करेगा।


आनंदी

क्रमशः 4 पर


सम्पत्ति प्रबंधक
वृन्दावन योजना, उत्तराखण्ड

द.इसमें इसके पूर्व दी गयी किसी बात के होते हुये भी, यदि कोई जांच की जायगी तो यदि आवश्यक हो, सम्बद्ध पक्षों की सुनवाई के पश्चात यदि स्वामी की राय में जिसका विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकर होगा, किराया-किश्त-क्रेता द्वारा गुप्त हाउसिंग भूखण्ड के आवंटन के लिये उसके द्वारा दिये गये आवंटन पत्र में कोई गलत बयान किया गया हो या किन्हीं सारवान तथ्यों का छिपाया गया हो तो स्वामी के लिये किराया-किश्त क्रेता को बेदखल करना और सम्पत्ति का कब्जा लेना विधि पूर्ण होगा और तब यह अनुबन्ध समाप्त समझा जायेगा। और किराया-किश्त क्रेता द्वारा इस प्रकार जमा की गयी धनराशि का स्वामी को समपहरण हो जायेगा।

ध.स्वामी एतद्वारा सहमत है कि किराया-किश्त क्रेता इस विलेख के अनुसार उसके द्वारा देय सभी भुगतान करके और इसमें दी गयी सभी शर्तों को पूरा करके और उनका पालन करके उक्त अवधि के दौरान स्वामी या उसके अधीन विधिपूर्वक दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी विधिपूर्ण विघ्न या बाधा के सिवाय उक्त सम्पत्ति को किरायेदार के रूप में शान्तिपूर्वक ग्रहीत करेगा और उसका उपभोग करेगा। इसमें इसके पूर्व दी गयी किसी बात के होते हुये भी किरायेदार एतद्वारा किराया-किश्त क्रेता के मूल्य में जो परिषद द्वारा नियत किया गया हो, भूमि के प्रतिकार में वृद्धि होने के कारण, या ठेकेदार के न्यायालय में जाने के परिणाम स्वरूप ठेकेदार के बिल में वृद्धि होने के कारण या ऐसी अन्य आकस्मिकता के कारण जिसका एतदपश्चात विनिश्चय किया जाए, कोई वृद्धि होने से उसका भुगतान करने के लिए सहमति है ऐसा भुगतान व्यय में इस प्रकार वृद्धि की आनुपातिक धनराशि होगी जो परिषद द्वारा नियत की जाएगी और किरायेदार के लिए अन्तिम और बाध्यकर होगी।

न.उक्त भूखण्ड का किराया-किश्त क्रेता एतद्वारा आवंटन के दिनांक से 5 वर्ष के भीतर भूखण्ड पर भवन का निर्माण करने और निर्माण कार्य पूरा करने के लिए सहमत है जिसमें विफल रहने पर परिषद द्वारा भूमि का पुनर्ग्रहण किया जा सकेगा। किराया-किश्त क्रेता निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व भवन का नक्शा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करारगा।

3.स्वामी एतद्वारा किराया-किश्त क्रेता को किराया-किश्त क्रेता की अवधि की समाप्ति के पश्चात विहित प्रपत्र में उसके साथ हस्तान्तरण विलेख निष्पादित करके उक्त सम्पत्ति का अन्तरण करने के लिए सहमत है, परन्तु यह कि उसने ऐसे निष्पादन के पूर्व स्वामी को और सार्वजनिक निकायों को, यदि कोई हो, सभी देयों का भुगतान कर दिया हो। किराया-किश्त क्रेता इसके बाद किरायेदार नहीं रहेगा और पैरा 5 में यथा उपबन्धित निष्पादित किये जाने वाले हस्तान्तरण विलेख के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सम्पत्ति का पट्टेदार के रूप में स्वामी हो जायेगा।

4.हस्तान्तरण विलेख सामान्यतः स्वामी द्वारा किराया-किश्त क्रेता की अवधि की समाप्ति के पश्चात निष्पादित किया जायेगा, फिर भी यदि किराया-किश्त क्रेता ने इसके पूर्व किरायेदारी समाप्त करने और सम्पत्ति का स्वामित्व उसमें निहित करने के लिए आवेदन किया हो और यदि किराया-किश्त क्रेता स्वामी द्वारा, (जिसका विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकर होगा) की गई संगणना के अनुसार पूरा भुगतान कर देता है, तो स्वामी हस्तान्तरण-विलेख निष्पादित करेगा।

5.यदि उक्त विनियमों और उनके अधीन किये गये अनुबन्ध की शब्दावली के निर्वचन के या अनुबन्ध के अनुसार किये गये या किये जाने के लिए प्रस्तावित किसी विनिश्चय के बारे में कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न हो तो आवास आयुक्त विनिश्चय करेंगे और किराया-किश्त क्रेता के लिए संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक ऐसा विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकर होगा।

अनुसूची-1

वृन्दावन योजना लखनऊ स्थित निर्माण खण्ड-31 के सभी व्यवसायिक भूखण्ड जिसकी संख्या 16/COM-11 एवं भूमि का क्षेत्रफल 739.60 वर्ग मी० है। सम्पत्ति की सीमा निम्नलिखित है:-

सम्पत्तिसं० श्रेणी 16/COM-11 व्यवसायिक भूखण्ड	क्षेत्रफल 739.60 वर्ग मीटर
सीमाएँ:-उत्तर- व्यवसायिक भूखण्ड सं० 16/COM-14	उत्तर- 21.50 मीटर
दक्षिण- 45.00 मी० चौड़ी सड़क	दक्षिण- 21.50 मीटर
पूर्व- व्यवसायिक भूखण्ड सं० 16/COM-10	पूर्व- 34.40 मीटर
पश्चिम- व्यवसायिक भूखण्ड सं० 16/COM-12	पश्चिम- 34.40 मीटर

इस व्यवसायिक भूखण्ड के किराया किश्त क्रेता अनुबन्ध पर परिषद की ओर से श्री हेतम पाल सिंह, सम्पत्ति प्रबन्धक ने तथा तान्या इन्फोबिल्ड एण्ड इन्फोटेक प्रा० लि० की ओर से श्री उमेश प्रताप सिंह आशयिता व्यवसायिक भूखण्ड सं० 16/COM-11 ने स्वयं स्वेच्छा से हस्ताक्षर किये हैं।

आवंटी

सम्पत्ति प्रबंधक
वृन्दावन योजना, लखनऊ

क्रमशः 5 पर

(5)
अनुसूची-2

इस अनुबन्ध पत्र पर इसके साक्ष्य में इसके पक्षकारों के उपरोक्त दिनांक, मास और वर्ष को अपने हस्ताक्षर किए :-
स्थान लखनऊ
दिनांक



प्रथम साक्षी हस्ताक्षर
-हस्ताक्षर
-नाम :
3-पता:

द्वितीय साक्षी हस्ताक्षर
1-हस्ताक्षर :
2-नाम :
3-पता:

प्रथम साक्षी
1-हस्ताक्षर
2-नाम :
3-पता :

द्वितीय साक्षी
1-हस्ताक्षर :
2-नाम :
3-पता

किराया किश्त कंता का
(सुपाहय हस्ताक्षर और पता)

1- हस्ताक्षर-
2-नाम तान्या इन्फाबिल्ड एण्ड इन्फोटेक प्रा०लि०
निवासी-538क/456/142 शिवपुरम, त्रिवेणीनगर,
लखनऊ की ओर से श्री उमेश प्रताप सिंह

परिषद की ओर से एवं उसके लिए

सम्यक् प्रबंधक
बुन्दावन योजना, लखनऊ

किरायेदारी सम्बन्धी उपबन्ध

- (1) यह उपबन्ध किराया-किश्त कंता पर लागू होंगे जो और जिसके साथ-साथ उसके फ्लैट/भूखण्ड/भवन का प्रत्येक उपयोगकर्ता संयुक्त रूप से पृथक-पृथक उनका पालन करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- (2) किराया-किश्त कंता अपने फ्लैट/भवन/भूखण्ड के भीतर, कूड़े, रद्दी कागजों, बूझारन, रसोईघर और भोजन की अपशिष्ट सामग्री, कूड़ा करकट और इसी प्रकार की वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए एक पात्र (कूड़ादान) रखेगा और प्रत्येक व्यक्ति ऐसी बेकार चीजों को एक ऐसे पात्र में डालेगा और कहीं अन्यत्र नहीं डालेगा।
- (3) ऐसे पात्र में पड़ी हुई सामग्री को प्रतिदिन, उसे रास्ते में बिखारें बिना, इस प्रयोजन के लिए आरक्षित स्थान पर डालेगा।
- (4) स्नानघर और शौचालय जैसी स्वच्छता सुविधाओं का उपयोग इस ढंग से किया जायेगा कि कोई नाली कूड़ा-करकट, रद्दी कागज, बूझारन या इसी प्रकार की चीजों से रुकने न पावे।
- (5) किसी कूड़ादान या कचरा रखने की पेटी को किराया-किश्त कंता के फ्लैट/भवन/भूखण्ड के बाहर या गलियारों या रास्तों में नहीं रखा जायेगा।
- (6) भूखण्ड के साइड के भाग खुले स्थान का उपयोग मूत्रालय के रूप में नहीं किया जायेगा।

क्रमशः 6 पर



अ. ला. मो. योजना
सहायक सचिव
लखनऊ

मे निष्पादन स्वीकार किया ।

शिकरी पहचान

गौरव दीप सिंह

शुरबघन सिंह

Gaurav Deep Singh

पेशा व्यापार

निवासी एन.सी.बी. सिंगार नगर आलमबाग लखनऊ

व गुलाम मोहम्मद योजना सहा0 आ0 वि0 प0

पेशा नौकरी

निवासी

वे को ।

प्राप्तता भद्र साक्षियों के निशान अंगुठे निम्नानुसार लिखे गये हैं।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस.वी. सिंह
एस.वी. सिंह
उप निबंधक (प्रथम)
लखनऊ
3/2/2017



- (7) किराया-किश्त क्रेता के पलैट/भवन/भूखण्ड या साझा भाग के या सड़क के किसी भाग में कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं बिखेरा जायेगा और चारों ओर पास-पड़ोस को स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखा जायेगा।
- (8) पलैट/भवन/भूखण्ड के या कालोनी के किसी भाग का उपयोग खतरनाक, ज्वलनशील, या आपत्तिजनक सामग्री रखने या उसका भण्डार या ढेर लगाने के लिये नहीं किया जायेगा।
- (9) भूखण्ड के किसी भाग में एक दुधारू गाय या भैंस के अतिरिक्त किसी पशु या पक्षी को उस प्रयोजन के लिए उपयुक्त व्यवस्था किये बिना नहीं रखा जायेगा।
- (10) प्रत्येक व्यक्ति इस बात का ध्यान रखेगा कि सम्पत्ति को कोई क्षति न हो या उसका क्षय न हो।
- (11) प्रत्येक व्यक्ति इस बात की सावधानी रखेगा कि पानी का नल या उसकी फिटिंग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और बिजली की लाइन और उसकी प्रतिष्ठापन को किसी से कोई बिगाड़ने न पाये।
- (12) सम्पत्ति का दुरुपयोग जैसे साझा गलियारा, साझा रास्ता, सीढ़ियाँ, चबूतरा प्रवेश मार्ग बनाने के लिए नहीं किया जायेगा, न करने की अनुमति दी जायेगी।
- (13) परिसर में कोई वाहन लाने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस बात का ध्यान रखेगा कि निवासियों के निर्वाह आवागमन में कोई अवरोध उत्पन्न न हो।
- (14) उपर्युक्त किसी भी अनुबन्ध का पालन न करना अनुबन्ध के निबन्धनों का उल्लंघन करना होगा और परिषद ऐसी उल्लंघन के लिए किराया-किश्त क्रेता के विरुद्ध उनके बीच निष्पादित अनुबन्ध के अधीन उसमें निहित शक्ति के अनुसार कार्यवाही करेगी।
- (15) व्यवसायिक भूखण्डों से सम्बन्धित सभी नियम व शर्तें जो समय-समय पर लागू हो, मान्य होंगी।
- नोट:- (1) अतः शासनादेश सं० वि० क० नि० 5-2756/11-2008-500(115)-2007 दिनांक 30.06.2008 एवं शासनादेश संख्या- 772/स्टाम्प लिपिक-2015 दिनांक 15.12.2015 के अन्तर्गत 7% की दर से ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र संख्या IN-UP02782366308862P दिनांक 09/01/2017 द्वारा रू० 23,35,000.00 के प्रमाण पत्र पर किश्त किरायेदारी अनुबन्ध निष्पादित किया जा रहा है।
- नोट:- (2) उत्तर प्रदेश शासन कर एवं निबन्धक अनुभाग-5 सं० नि० क० नि० 5-3757/11-2010-500(100)-2008 दिनांक 16-11-2011 द्वारा किश्त किरायेदारी अनुबन्ध परिषद दर पर निष्पादित किया जा रहा है।
- नोट:- (2) उक्त व्यवसायिक भूखण्ड सं० 16/COM-11, का मांग पत्र संख्या 199 दिनांक 13.01.2017 को निर्गत के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन कर एवं निबन्धन अनुभाग-7, आदेश संख्या- 13/संख्या-क० नि०-7-440/11-2015-700(111)/13 लखनऊ दिनांक 30, मार्च, 2015 के शासनादेश अनुसार किराया-किश्त क्रय किरायेदारी अनुबन्ध एक वर्ष के अन्दर निष्पादित किया जा रहा है।

हस्ताक्षर:-

नाम

आवंटी

तान्या इन्फाबिल्ड एण्ड इन्फोटेक प्रा० लि०

निवासी-538क/456/142 शिवपुरम,

त्रिवेणीनगर, लखनऊ की ओर से श्री उमेश प्रताप सिंह

(हिताम पाल सिंह)

सम्पत्ति प्रबंधक

वृन्दावन योजना, लखनऊ

33,355,960.00 विक्रय अनुबंध विलेख (कब्जा) 10,006,788.00 20,000.00 60 20,060.00 16

प्रतिफल मालियत अग्रिम धनराशि फीस रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग पृष्ठों की संख्या
श्री तान्या इन्फ्राविल्ड ए.इन्फो प्रा० लि० द्वारा, उमेश प्रताप सिंह
पुत्र श्री
व्यवसाय व्यापार

निवासी स्थायी 538क/456/142 शिवपुरम त्रिवेणी नगर लखनऊ
अस्थायी पता

वे यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 3/2/2017 समय 1:10PM

द्वारे निबन्धन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस.बी. सिंह
उप निबंधक (प्रथम)
लखनऊ

3/2/2017

निष्पादन लेखपत्र वाद करने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त
दिकेता

इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि इस लेखपत्र का निष्पादन श्री उ० प्र० आ० लि० प० द्वारा हेतम पाल सिंह सं० प्र० अ० ने अपने पद के अधिकार से किया है इसलिये उनकी उपस्थिति और हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं है, और लेखपत्र रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वीकार किया गया।

श्री तान्या इन्फ्राविल्ड ए.इन्फो प्रा० लि० द्वारा, उमेश प्रताप सिंह
पुत्र श्री
पेशा व्यापार
निवासी 538क/456/142 शिवपुरम त्रिवेणी नगर लखनऊ



IS 15700:2005

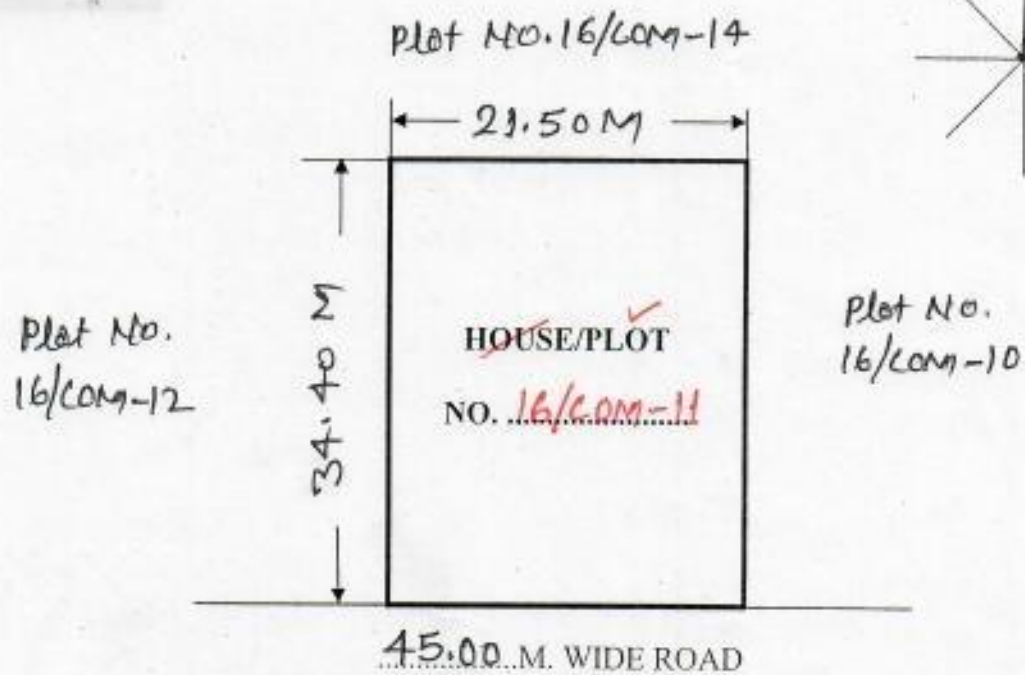


सर्वोत्तम प्रमाणित

Office of The Executive Engineer
Construction Div.-31,
U.P.Housing & Development Board
Office Complex, Sec.9A, Vrindavan Yojna,
Lucknow

भारतीय मानक चिह्न

IS 15700

SITE PLAN OF HOUSE/PLOT NO. 16/COM-11AT SECTOR- 16 VRINDAVAN YOJNA NO. 214, LUCKNOWOWNER SRI/SMT. ताम्या इन्फ्राविल्ड एण्ड इन्फोटेक प्रा० लि०द्वारा श्री उमेश प्रताप सिंहPLOT SIZE 21.50 M x 34.40 MTOTAL PLOT AREA- 739.60 Sqm.

09/12/16
D/MAN

19/12/16
J.E.

19/12/16
A.E.

अभिलेख
अभिलेखी

अभिलेख
अभिलेखी
संयोजक योजनार्थी, अखण्ड

विक्रेता

Registration No.: 1265

Year : 2,017

Book No. : 1

0101 उ० प्र० आ० वि० प० द्वारा हेतम पाल सिंह सं० प्र० अ०



क्रेता

Registration No. : 1265

Year : 2,017

Book No. : 1

0201 तान्या इन्फ्राविल्ड ए.इन्फो प्रा0 लि0 द्वा,उमेश प्रताप ि.उ

538क/458/142 शिवपुरम त्रिवेणी नगर लखनऊ
व्यापार



Form 26QB

Your E-tax Acknowledgement Number is AD7142995

- The Acknowledgement No. generated will be valid only if the taxpayer makes a payment at Bank's site. Taxpayers are advised to save above Acknowledgement No. for downloading Form 15B from TRACES website.
- As communicated by Income Tax Department, TDS certificate (Form 16B) will be available for download from the TRACES website after atleast 2 days of deposit of tax amount in the respective Bank.
- The TDS amount as per Form 26QB should be entered in the field 'Basic Tax' (Income Tax) on the Bank's web-portal as TDS certificate (Form 15B) will be based on 'Basic Tax' (Income Tax) only.
- If Date of deduction is greater than Date of Payment/Credit, the same may result in Demand Notice for late deduction.
- If Date of deduction is less than Date of Payment/Credit, the same may result in Demand Notice for late deduction.
- If Date of furnishing Form 26QB is beyond prescribed due date, the same may attract late filing fee as per 234E.

उत्तर प्रदेश
समिति प्रबंधक
पुनर्वास योजना, लखनऊ

Tax Applicable	802B	Assessment Year	2017-18
New Head Code	800	Financial Year	2016-17
Permanent Account No. (PAN) of Transferor (Payer/Buyer)	AAELT0371N	Permanent Account No. (PAN) of Transferee (Payee/Seller)	AAAJUB103A
Full Name of the Transferor	TANYA INFRABUILD & INFOTECH PRIVATE LIMITED	Full Name of the Transferee	UTTAR PRADESH AWAS EVAM VIKAS PARISHAD
Category of Transferor on the basis of PAN	Company	Category of Transferee on the basis of PAN	Artificial Juridical Person
Status of PAN as per ITD PAN Master	Active PAN	Status of PAN as per ITD PAN Master	Active PAN

Complete Address of the Property Transferred		Complete Address of the Property Transferred	
Name of premises/Building/ Village	SHIVPURAM	Name of premises/Building/ Village	UP AWAS AWAM VIKAS PARISHAD
Flat/Door/Block No.	538KA/456/142	Flat/Door/Block No.	OFFICE COMPLEX
Road/Street/Lane	TRIVENI NAGAR	Road/Street/Lane	VINDAVAN YOJANA
City/District	LUCKNOW	City/District	LUCKNOW
State	UTTAR PRADESH	State	UTTAR PRADESH
Pin Code	226020	Pin Code	226024
Email ID	AD.VISHVAJEET.LK0@GMAIL.COM	Email ID	
Mobile No.	9838789388	Mobile No.	

Official
Signature

Date of Agreement/Booking	27/04/2016	Whether more than one Transferee/Buyer No	
Date of Payment/Debit	26/07/2016	Whether more than one Transferor/Seller No	
Date of Tax Deduction	26/07/2016	Payment Type	Installments

Complete Address of the Property Transferred	Tax Deposit Details
Type of Property	Land
Name of premises/Building/ Village	SEC 16A CYM 11
	Rate (in %)

गवाह

Registration No.: 1265

Year : 2017

Book No. : 1

W1 गौरव दीप सिंह

गुरवचन सिंह

एन.सी.डी. सिंगार नगर आत्मभाग लखनऊ

व्यापार



W2 मुलाम मोहम्मद घोषणा सहो आओ विओ पओ

नीकरी



5/20/17

Full Owner Name
Road Street Lane
City/Town
State
Zip Code

VRINDAVAN YOGANA
LAKSHMI
UTTAR PRADISH
226074

Confirmation Page

TTDS Amount to be paid
Interest
Fee
Total payment
Value in words

(Signature)
समिति प्रबंधक
वृन्दवन योजना, लखनऊ

Two Thousand Eight Hundred Ten Rupees

Total Value of Contribution (Property Value) 4694200
Mode of Payment
Bank Name

Online
Etema Bank

Note: This Acknowledgment is only for the information regarding TTDS on Sale of Property submitted to Tax Information Network (TIN). This should be treated as proof of payment of TTDS.

(Signature)
आवंटी

आज दिनांक 03/02/2017 को

बही सं. 1 जिल्द सं. 21940

पृष्ठ सं. 381 से 396 पर क्रमांक 1265

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


एस.वी.सिंह

उप निबन्धक(प्रथम)

लखनऊ

3/2/2017





आई एस ओ प्रमाणित संस्था

कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्ध

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्
आफिस कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-९, प्रथम तल, वृन्दावन योजना, लखनऊ

संख्या...५९६.....

/सं०प्र० वृन्दावन योजना

दिनांक ०१/१२/१७

सेवा में,

मान्यता प्राप्त फाइल एंड ड्रॉइंग्स ऑफिस
निवासी- बाग़ धारा दाम कुटी (भाग ३६)
लखनऊ

विषय : भवन/भूखण्ड संख्या १६/८०म-११ के विक्रय विलेख के पंजीयन के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि आपके पक्ष में आवंटित भवन/भूखण्ड संख्या १६/८०म-११ का विक्रय विलेख/किराया क्रय विलेख रु० २३,३५,०००/- के स्टाम्प पर निष्पादित कर दिया गया है जो कि पूर्ण रूप में एवं एक छायाप्रति के साथ अन्य सम्बन्धित प्रपत्र संलग्न कर इस आलय से दिया/भेजा जा रहा है कि कृपया २५ दिन के अन्दर सब रजिस्ट्रार लखनऊ के कार्यालय में उपस्थिति होकर विलेख पंजीकृत कराकर विलेख की एक प्रमाणित प्रति तीन दिनों के अन्दर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें ताकि भवन/भूखण्ड का कब्जा पत्र भौतिक कब्जे हेतु निर्गत किया जा सके अन्यथा विवाद द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

सम्पत्ति प्रबंधक
वृन्दावन आवास आयोग लखनऊ

सं०

/उक्त/

तद् दिनांक

प्रतिलिपि : सब रजिस्ट्रार लखनऊ को उक्त सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सम्पत्ति प्रबंधक
वृन्दावन आवास आयोग लखनऊ

(प्रस्तुतकर्ता अधिका प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला।

उप निबन्धक(प्रथम)

कम सं० 3173

संख्येन०

सेवा या पत्र पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक

03-Feb-2017

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम सान्या इन्फ्रान्टिल्ड ए.इन्फो प्रा० लि० द्वा.उमेश प्रत

लेख का प्रकार

विक्रय अनुबंध विलेख (कब्जा)

प्रतिफल की धनराशि 33,355,960. / 0.00

1. रजिस्ट्रार शुल्क 20,000.0

2. प्रतिलिपिका शुल्क 60

3. विरोध या तत्पश्चात शुल्क

4. मुहतासनामा के अधिप्राप्ति करण के लिए शुल्क

5. कर्मचारी शुल्क

6. विविध

7. रात्रिक मल्ला

1 से 6 तक का योग 20,060.0

शुल्क वसूल करने का दिनांक 03-Feb-2017

दिनांक जब लेख प्रतिलिपि या मलाज प्रमाण पत्र

वापस करने के लिए तैयार किया 03-Feb-2017

रजिस्ट्रार अधिका के हस्ताक्षर

1265/17

काप्ट

R